

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1431
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

अपशिष्ट से बिजली संयंत्र

1431. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार को पता है कि अपशिष्ट से बिजली बनाने वाले संयंत्र प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए हैं और बढ़ते प्रदूषण स्तर, शोर और दुर्गंध जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) अपशिष्ट से बिजली संयंत्रों से जुड़ी प्रदूषण संबंधी चिंताओं को दूर करने और प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
- (ग) क्या सरकार ने अपशिष्ट से बिजली संयंत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रचलनों का अध्ययन किया है और उन्हें अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): जी, हाँ। इस प्रकार के उल्लंघन की कुछ घटनाएँ देखी गई हैं।

प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अपशिष्ट से बिजली संयंत्रों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे नीचे दिए गए हैं:-

- i. वायु प्रदूषण:
 - बॉयलर और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र से उत्सर्जन
 - अपशिष्ट प्रबंधन और भंडारण क्षेत्र से गंध
- ii. जल प्रदूषण:
 - ठोस अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र से रिसाव
- iii. ठोस अपशिष्ट:
 - तल की राख और फ्लाई ऐश
 - अपशिष्ट उत्पादन क्षेत्र से प्राप्त अवशेष

तथापि, अपशिष्ट से बिजली संयंत्रों को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता

होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयंत्र वायु और जल गुणवत्ता के लिए पर्यावरणीय मानकों का पालन कर रहे हैं।

इसके अलावा, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- i. 1500 किलो कैलोरी/किलोग्राम या उससे अधिक कैलोरी मूल्य वाले गैर-पुनर्चक्रणीय कचरे का निपटान लैंडफिल पर नहीं किया जाएगा और इसका उपयोग केवल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए या अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन के माध्यम से या अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन तैयार करने के लिए फीड स्टॉक के रूप में देकर किया जाएगा।
- ii. सीमेंट या ताप विद्युत संयंत्रों में सह-प्रसंस्करण के लिए उच्च कैलोरी मूल्य वाले अपशिष्ट का उपयोग किया जाएगा।
- iii. प्रति दिन पाँच टन से अधिक प्रसंस्करण क्षमता वाले अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली स्थानीय निकाय या सुविधा के संचालक या उनके द्वारा नामित एजेंसी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को फॉर्म-I में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- iv. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा स्थापित करने के लिए, ऐसा आवेदन प्राप्त करने पर इसकी जाँच करेगी और साठ दिनों के भीतर अनुमति देगी।
- v. एसडब्ल्यूएम नियम-2016 की अनुसूची-II के पैरा-ख और ग के अनुसार, उपचारित लीचेट और भस्मीकरण के लिए मानक निर्दिष्ट किए गए हैं।
- vi. निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए राज्य पीसीबी और पीसीसी द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाती है। पीपीसीबी ने देश भर में विभिन्न अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का भी निरीक्षण किया है।

सरकार ने समय-समय पर अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वैश्विक प्रथाओं का अध्ययन किया है और उन्हें अपनाया है। योजना आयोग द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने वर्ष 2014 में अपशिष्ट से ऊर्जा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वैश्विक स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाएं, अर्थात् यूरोपीय संघ (ईयू), जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, नीदरलैंड आदि में इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। रिपोर्ट में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के लिए फीड-इन-टैरिफ, कर प्रोत्साहन आदि के अलावा, यूरोपीय संघ की तरह 5 आर (रिड्यूस, रियूज, रिकवर, रीसाइकल और रीमैनुयुफैक्चर) को बढ़ावा देने की अवधारणा की सिफारिश की गई है। एसडब्ल्यूएम नियम 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पुनः उपयोग, कमी लाने, पुनर्चक्रण करने और पुनः प्राप्ति की अवधारणा शामिल है।
